

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 108 / 2022

उनवान

- 1- ओमप्रकाश पुत्र रामपाल शर्मा निवासी समेलिया तहसील शाहपुरा
- 2- माधवलाल पुत्र भूरालाल शर्मा निवासी समेलिया तहसील शाहपुरा
- 3- राजेन्द्र कुमार पुत्र माधूलाल शर्मा निवासी समेलिया तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- प्रहलाद पिता गोदू बलाई निवासी समेलिया तहसील शाहपुरा
- 2- गोपाल पिता देबी बलाई निवासी समेलिया तहसील शाहपुरा
- 3- भैरु पिता मांगू तेली निवासी समेलिया तहसील शाहपुरा
- 4- रामा पिता कल्याण नायक निवासी समेलिया तहसील शाहपुरा
- 5- मु. दुर्गा पत्नी कैलाश शर्मा निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
- 6- सत्यनारायण पिता हीरा नायक निवासी समेलिया तहसील शाहपुरा
- 7- भैरु पिता लादू नाथ निवासी समेलिया तहसील शाहपुरा
- 8- भैरु पिता उदा चमार निवासी समेलिया तहसील शाहपुरा
- 9- प्रभु पिता श्रवण सेन निवासी समेलिया तहसील शाहपुरा
- 10- मु. भगवती पत्नी माधु नाई निवासी समेलिया तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री राजेश वर्मा

अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

--: निर्णय :-

दिनांक- 21.09.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम समेलिया पटवार हल्का समेलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 124 रकबा 0.44 है0, 125 रकबा 0.25 है0, 127 रकबा 0.04 है0, 128 रकबा 0.35 है0, 129 रकबा 0.44 है0, 130 रकबा 0.05 है0, 132 रकबा 0.14 है0, 133 रकबा 0.19 है0, 362 रकबा 0.10 है0, 378/2182 रकबा 0.20 है0, 514 रकबा 0.25 है0, 515 रकबा 0.68 है0, 516 रकबा 0.56 है0 कुल किता 13 रकबा 3.69 हैक्टेयर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण सं0 3, 4, 6 लगायत 10 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। एवं विपक्षीगण सं0 1, 2, 5 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गयी। बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम समेलिया पटवार हल्का समेलिया संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा समेलिया में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् में से आराजी नम्बर 127 रकबा 0.04 है0 किस्म गेमु रास्ता होने से उक्त आराजीयात को छोड़कर शेष किता 12 रकबा 3.65 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिशन फीस 1500/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिक्रिया :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

(सुनिता यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा